प्रश्न (प्राय: पूछे जाने वाले एफ ए क्यू एस)

1. हथकरघा क्षेत्र में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के क्या कार्य हैं ?

हथकरघा क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो अपने प्रयासों से सहयोग प्रदान करे, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की स्थापना फरवरी 1983 में की गयी थी।

- उचित मूल्यों पर निवेशों की खरीद व आपूर्ति तथा
- हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उन्नतिशील बनाने में जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो विकासात्मक कार्यकलापों को प्रारम्भ करना।

2. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा क्षेत्र हेतु क्या योजनायें चलाई रही जा हैं ?

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम पात्र हथकरघा संस्थाओं को सभी प्रकार के सूत की आपूर्ति हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की मिलगेट मूल्य योजना को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम हथकरघा क्षेत्र हेतु विकासात्मक कार्यकलापों के रूप में निम्नलिखित अन्य योजनाओं को भी कार्यन्वित कर रहा है :-

(i) रंगसाजी प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

बुनकरों को आधुनिकतम रंगसाजी तकनीकियों के बारे में अवगत कराना जिससे कि बाजार में हथकरघा वस्त्रों को बढ़ावा मिल सके।

(ii) क्रेता /बिक्रेता मिलन :-

हथकरघा बुनकरों को उनकी पसन्द के वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता मिलों के बारे में अवगत कराना तथा अच्छी गुणवत्ता वाले सूत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करना। इससे ग्राहकों तथा आपूरकों को एक दूसरे से विचार विमर्श का अवसर मिलता है।

(iii) सरकारी योजनाओं के प्रचार पर कार्यशाला :-

हथकरघा क्षेत्र हेतु प्रचारित की गयी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित करना।

(iv) विशेष हथकरघा एक्सपो :-

देश के विभिन्न हिसों में एक्सपोजों का आयोजन करके हथकरघा संस्थाओं को विपणन सहयोग प्रदान करना।

मिलगेट मूल्य योजना (एम जी पी एस) क्या है ?

एज जी पी एस वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके द्वारा पात्र हथकरघा संस्थाओं को हर प्रकार का सूत मिलगेट मूल्यों (अर्थात जिस मूल्य पर आपूर्तिकता/निर्माताओं से सूत प्राप्त किया जाता है) पर उपलब्ध कराया जाता है।

एम जी पी एस के अन्तर्गत 06 जनवरी 2012 से 10% मूल्य छूट संघटक को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जो कि केवल घरेलू सूत तथा रेशम सूत पर ही अनुमन्य है।

(4) <u>एम जी पी एस के अन्तर्गत किस प्रकार के सूत की आपूर्ति की जाती है ?</u>

एम जी पी एस के अन्तर्गत परिवहन तथा डिपो प्रतिपूर्ति लाभ के साथ सभी प्रकार के सूत जैसे कि सूती, रेशमी ऊनी, पालिस्टर, एक्रेलिक, रेयान, जरी, जूट तथा मिश्रित सूत इत्यादि की आपूर्ति की जाती है।

तथापि केवल घरेलू सूत तथा रेशमी सूत पर 10% मूल्य छूट अनुमन्य है।

(5) <u>एम जी पी एस के अन्तर्गत कौन लाभ प्राप्त कर सकता है</u> ?

निम्नलिखित संस्थायें योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं :-

(क) राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्रीय/प्राथमिक स्तर के सभी हथकरघा संस्थान।

(ख) हथकरघा विकास केन्द्र।

(ग) एम ई पी सी या वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत कोई अन्य निर्यात संवर्धन परिषद / केन्द्र शासित/ राज्य हथकरघा/उद्योग निवेशकों के साथ पंजीकृत हथकरघा उत्पादकों/निर्यातकों/नियार्ताओं को।

(घ) हथकरघा उत्पादों के उत्पादन में संलग्न सभी अनुमोदित निर्यात गृह/व्यापारिक गृह/स्टार व्यापारिक गृह।

(च) आई एम सी डी एस/ आई एम डी एस के अन्तर्गत स्वीकृत हथकरघा समूहों में बनाए गए हथकरघा संघ/हथकरघा उत्पादक।

(छ) मान्यता प्राप्त/अनुमोदित हथकरघा संस्थाओं के सदस्य।

(ज) कपार्ट के मानकों को पूर्णकरने वाले गैर, कार्यकारी संगठन (एन जी ओ)

(झ) स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह।

(ट) बुनकर उद्यमी।

(ठ) वैयक्तिक हथकरघा बुनकर तथा।

(ड) विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था।

(6) एम जी पी एस के अन्तर्गत लाभ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है:-

पात्र हथकरघा बुनकर संस्था अपना मांगपत्र राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एन एच डी सी) को प्रेषित करेगी जो कि एम जी पी एस के अन्तर्गत कार्यान्वयन संस्था है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम सूत आपूर्ति हेतु मांग पत्र के विनिर्देशनों के अनुसार आपूर्तिकताओं से अनुबंध करेगा। लाभार्थी संस्था 10% मूल्य छूट के लाभ को प्राप्त करने के क्रम में अपना आवेदन करेगी तथा एम जी पी एस में निर्धारित किए गए के अनुसार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से सूत पासबुक प्राप्त करेगी।

(7) <u>एम जी पी एस के अन्तर्गत छूट की मात्रा क्या है ?</u>

भारत सरकार, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा निम्नलिखित के अनुसार भाड़ा प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

सूत मूल्य का प्रतिशत

मद	मैदानी क्षेत्रों में	पहाड़ी/सूदूरवर्ती क्षेत्रों में	उत्तर/पूर्व क्षेत्रों में
रेशम / जूट के अतिरिक्त	2.50%	2.50%	5.00%
रेशम सूत	1.00%	1.25%	1.50%
जूट/जूट मिश्रित	10.00%	10.00%	10.00%

परिवहन की वास्तविक लागत या उक्त भाड़ा प्रतिपूर्ति जो भी कम है, अनुमन्य होगा।

भारत सरकार राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा सूत मूल्य के 2.5% के अनुसार डिपो अधिभारों पर भी छूट प्रदान करती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के द्वारा 06 जनवरी 2012 से लाभार्थी संस्थाओं को (जैसा कि एम जी पी एस के अनुच्छेद 10.3 पर दर्शाया गया है तथा यह वेबसाइट www.nhdc.ltd.co.in पर उपलब्ध है) घरेलू सूती तथा रेशम सूत पर उनके बीजकों पर सीधे 10% मूल्य अनुदान स्वीकृत किया है)

(8)राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उससे कैसे सम्पर्क करें :-

हथकरघा बुनकरों को अपनी सेवायें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम 05 क्षेत्रीय कार्यालयों, 02 जोनल कार्यालय तथा 33 शाखा कार्यालयों को संचालित कर रहा है जो कि अधिकतर या तो राज्यों की राजधानियों या हथकरघा संकेन्द्रित क्षेत्रों में स्थित हैं। इन सभी कार्यालयों के पते तथा सम्पर्क संस्था राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की वेबसाइट www.nhdc.ltd.co.in पर उपलब्ध है।

ई पी ए बी एक्स 0522 – 2635133, 2635287